

चुनाव और प्रतिनिधित्व

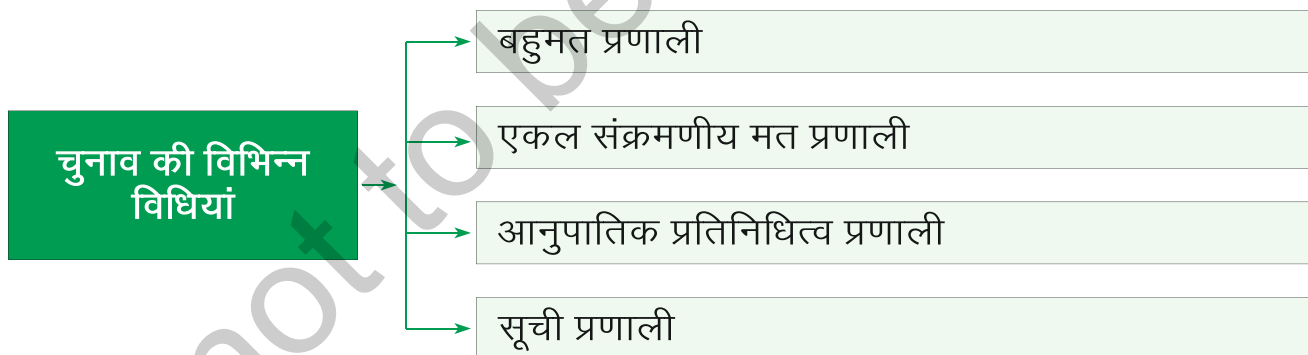
सीखने के प्रतिफल

इस अध्याय में हम चुनाव और प्रतिनिधित्व के बारे में संवैधानिक प्रावधानों का अध्ययन करेंगे संविधान में जिस चुनाव पद्धति को स्वीकार किया गया है उसके महत्व और चुनाव कराने की मशीनरी से संबंधित प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे।

इस अध्याय को पढ़ने से निम्नलिखित बातों का पता चलेगा।

- चुनाव की विभिन्न विधियां।

- अपने देश की चुनाव व्यवस्था की विशेषताएं।
- स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के प्रावधानों का महत्व।
- चुनाव सुधार पर होने वाली बहस।
(ऊपर लिखे बातों को बॉक्स में डालें)



बहुमत प्रणाली

इस प्रणाली में जिसे सर्वाधिक मत मिलता है वह प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है। जिस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत प्राप्त होता है

वह विजयी को घोषित होता है। यह प्रणाली "जो सबसे आगे वही जीते" प्रणाली कहलाता है

बहुमत प्रणाली की विशेषताएं।

इसमें चुनाव क्षेत्र और प्रतिनिधि के बीच संबंधों का निर्माण होता है।

अतिवादी तत्वों के चुनाव जीतने की संभावना कम होती है।

इसमें शक्तिशाली एक दलीय सरकार का निर्माण होता है।

दो दलों के अलावा छोटे या तीसरे दल की विजयी होने की संभावना कम होती है।

उत्तरदायी सरकार का निर्माण होता है क्योंकि विधायिका में एक दल के बहुमत के कारण सरकार के विरोध की संभावना बहुत कम होती है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

इस प्रणाली में प्रावधान है कि जिस दल को चुनाव में जीतने प्रतिशत मत प्राप्त होता है उतने ही प्रतिशत सीटें मिलती है अर्थात् सीटों और मतों का प्रतिशत समान होता है।

आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली

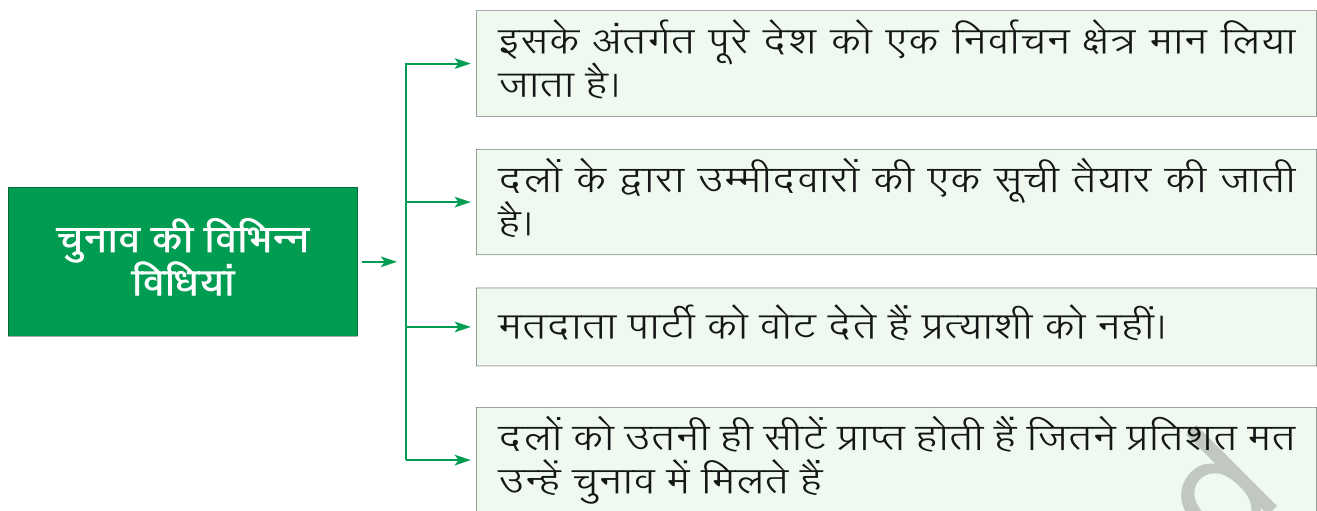
सूची प्रणाली

एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली।

संचायी प्रणाली

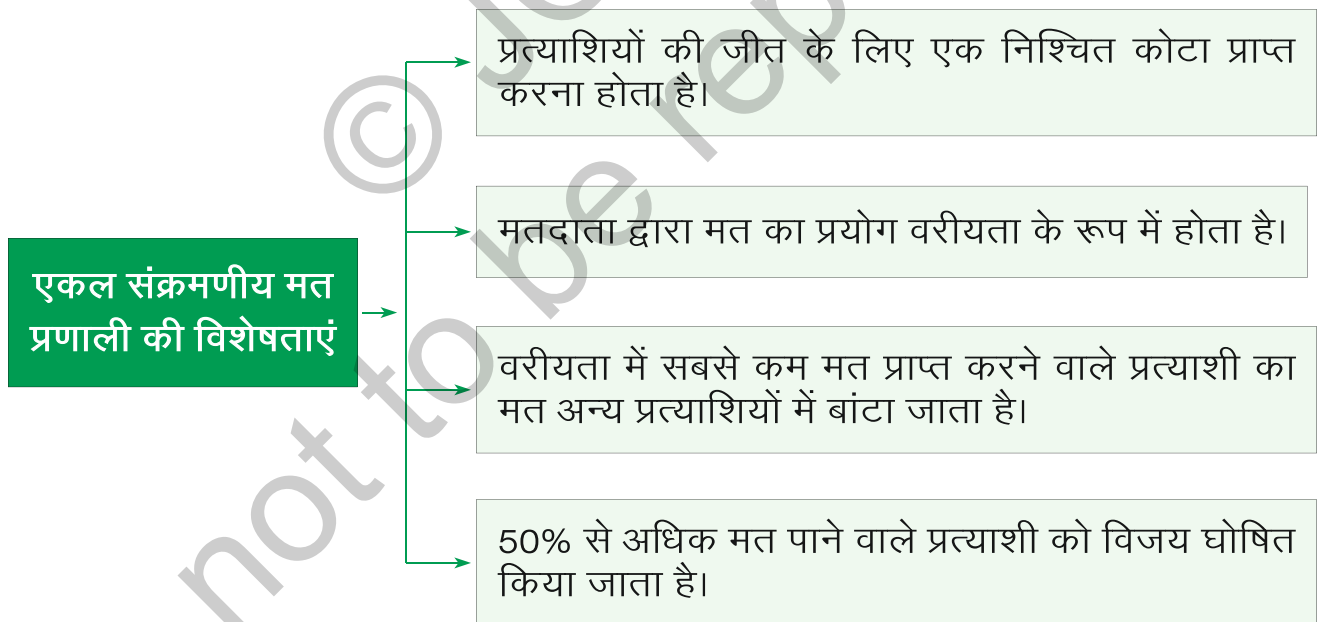
सूची प्रणाली

अतिरिक्त सदस्यीय चुनाव प्रणाली



एकल संक्रमणीय मत प्रणाली

भारत में राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति है। एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 5 प्रत्याशियों का निर्वाचन होता है। प्रत्येक दल उतने ही प्रत्याशियों को चुनाव में खड़ा करते हैं जितनी सीटों की कुल संख्या होती है।



भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को केवल अप्रत्यक्ष चुनावों के लिए ही सीमित रूप से अपनाया है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य सभा और विधान परिषद के चुनाव के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई है।

**बहुमत प्रणाली एवं
समानुपाती प्रणाली में
अंतर**

→ सर्वाधिक वोट पाने वाले की जीत।

→ पूरे देश को छोटे-छोटे भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जाता है।

→ मतदाता प्रत्याशी को वोट देता है।

→ विजयी उम्मीदवारों को जरूरी नहीं कि वोटों का बहुमत 50% से अधिक मिले।

→ हर निर्वाचन क्षेत्र केवल एक प्रतिनिधि का चुनाव करता है।

→ उदाहरण- इंग्लैंड और भारत।

→ चुनाव में जीतने प्रतिशत मत प्राप्त उतने प्रतिशत सीट प्राप्त होते हैं।

→ बड़े क्षेत्रों को एक निर्वाचन क्षेत्र माना जाता है।

→ मतदाता पार्टी को वोट देता है।

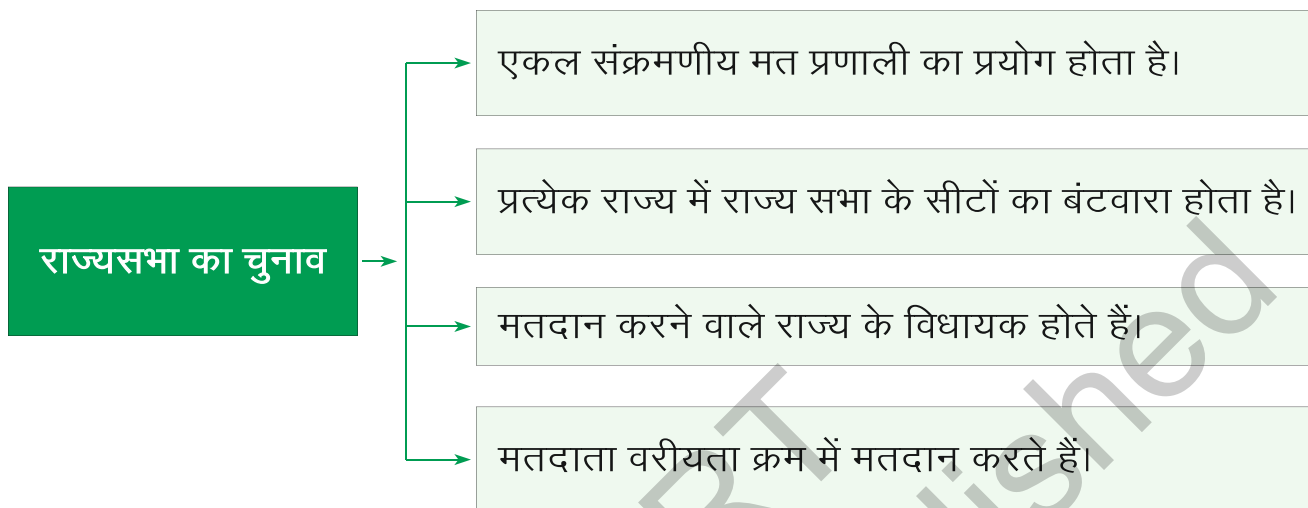
→ विजयी उम्मीदवार को वोटों का बहुमत हासिल होता है

→ मतदाता पार्टी को वोट देता है।

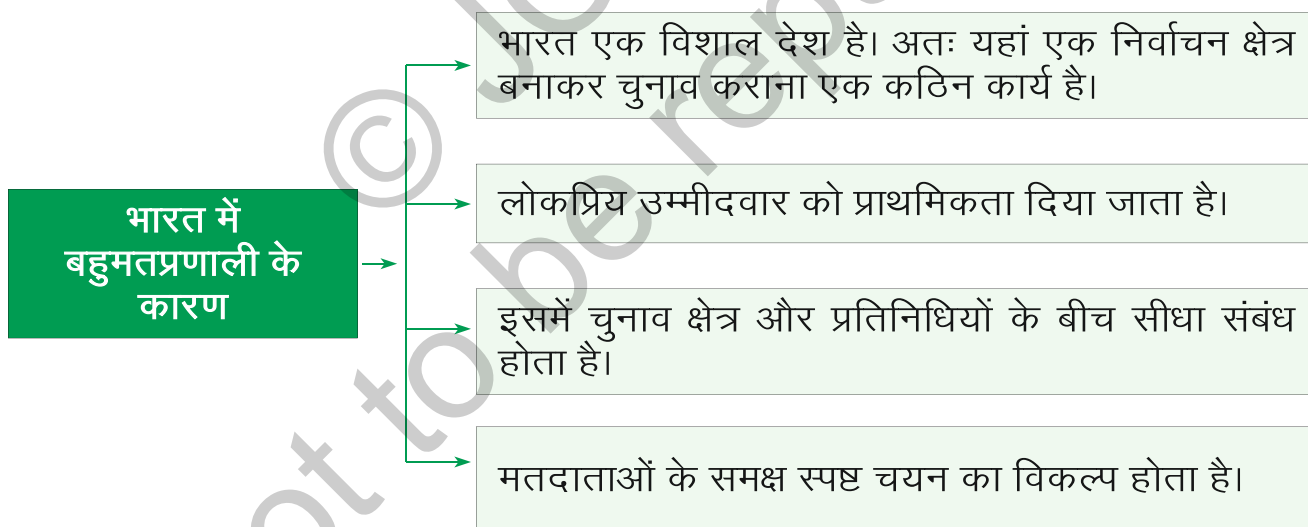
→ उदाहरण इजरायल और नीदरलैंड

समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से राज्यसभा का चुनाव

भारत में राज्यसभा और विधान परिषद का चुनाव समानुपातिक प्रणाली से किया जाता है। यहां राज सभा के चुनाव को समझाया गया है।



भारत में बहुमत प्रणाली को अपनाया गया है। जिसे सर्वाधिक वोट से जीत प्रणाली भी कहा जाता है।



निर्वाचन क्षेत्रों में आरक्षण

संविधान में अनुसूचित जाति और जनजाति को 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था। लेकिन यह आरक्षण आज तक चलता आ रहा है। क्योंकि अभी भी यह समुदाय पिछड़ा हुआ है।

संविधान में आरक्षण के कारण

दलित समाज को हक दिलाने के लिए आरक्षण आवश्यक है।

पिछड़े वर्ग को उनके संख्या के अनुसार सत्ता में भागीदारी देने के लिए आरक्षण आवश्यक है।

देश के सभी वर्गों को एक समान स्तर पर लाने के लिए आरक्षण आवश्यक है।

पृथक निर्वाचन क्षेत्र

स्वतंत्रता के पहले अंग्रेजों ने अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का निर्माण किया था जिसमें किसी समुदाय के प्रतिनिधि के चुनाव में केवल उसी समुदाय के लोग वोट डालते थे।

निर्वाचन आयोग

भारतीय संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग तथा निर्वाचन से संबंधित प्रावधान किए गए हैं।

निर्वाचन आयोग की संरचना

1. एक मुख्य चुनाव आयुक्त
2. दो चुनाव आयुक्त

निर्वाचन आयोग 1989 ई. तक एक सदस्यीय रहा था। 1989 के बाद यह आयोग 3 सदस्यीय हो गया। पुनः अगले वर्ष इसे एक सदस्यीय बना दिया गया। 1993 ईस्वी में पुनः चुनाव आयोग 3 सदस्यीय कर दिया गया। जो वर्तमान समय तक है।

नियुक्ति-

राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है

कार्यकाल-

निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र तक (जो भी पहले हो) होता है।

हटाने का प्रावधान-

जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रक्रिया से निर्वाचन आयोग के आयुक्तों को हटाया जाता है।

निर्वाचन आयोग के कार्य

1. चुनाव के तिथियों का निर्धारण।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन।
3. मतदाता सूची को तैयार करना।
4. राजनीतिक दलों का पंजीकरण।
5. अर्धन्यायिक कार्य।
6. आचार संहिता लगाना।
8. मतदाताओं को राजनीतिक प्रशिक्षण।
9. मतदाताओं द्वारा किए जाने वाले कुल खर्च की राशि निश्चित करना।

चुनाव सुधार-

कोई भी चुनाव प्रणाली आदर्श नहीं मानी जा सकती है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। 70 वर्षों के बाद हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार की आवश्यकता है।

चुनाव सुधार -

1. समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू किया जाना चाहिए।
3. चुनाव आचार संहिता को वैधानिक दर्जा दिया जाए।
4. एक प्रत्याशी को दो निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर स्पष्ट प्रतिबंध होना चाहिए।
5. राजनीतिक दलों को प्राप्त हुए चंदा के स्रोत की स्पष्ट जानकारी चुनाव आयोग के पास होनी चाहिए।
6. फौजदारी मुकदमा वाले उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने पर रोक लगाना चाहिए।
7. चुनाव में धन के प्रभाव को नियंत्रित किया जाना चाहिए।
8. एक तिहाई सीट पर महिला आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए।

मुख्य बिंदु

- भारत में “जो सबसे आगे वही जीते” चुनाव प्रणाली को अपनाया गया है
- झारखंड में राज्यसभा के कुल 6 सीटें हैं।
- निर्वाचन क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए परिसीमन आयोग का गठन किया गया है।
- निर्वाचन क्षेत्र को आरक्षित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार भी परिसीमन आयोग के पास होता है।
- 1989 में संविधान संशोधन कर मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया है।
- लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में खड़ा होने के लिए कम से कम 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए।
- संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है।
- भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में हुआ था।
- मुख्य निर्वाचन आयुक्त को राष्ट्रपति नियुक्त और पदच्युत करता है।

बहुविकल्पी प्रश्न

1. चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी?
 - a. 1945
 - b. 1997
 - c. 1950
 - d. 1956
2. संविधान के किस संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया?
 - a. 42वां संशोधन
 - b. 40 में संशोधन
 - c. 61 वें संशोधन
 - d. 41 वें संशोधन।
4. लोकसभा और विधानसभा के निश्चित 5 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने के बाद जो चुनाव होते हैं उसे क्या कहा जाता है?
 - a. आम चुनाव
 - b. विशेष चुनाव
 - c. उपचुनाव
 - d. उपरोक्त सभी
5. लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु क्या है?
 - a. 19 वर्ष।
 - b. 21 वर्ष।
 - c. 25 वर्ष
 - d. 30 वर्ष

3. मतदाता सूची कौन तैयार करता है?

- a. भारत सरकार
- b. सुप्रीम कोर्ट
- c. चुनाव आयोग।
- d. इनमें से कोई नहीं।

लघु उत्तरीय प्रश्न

- प्रश्न 1. “जो सबसे आगे वही जीते” प्रणाली को बताएं।
- प्रश्न 2. समानुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है?
- प्रश्न 3. पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है?

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

- प्रश्न 1. चुनाव आयोग के क्या कार्य हैं?
- चुनाव आयोग के लिए आवश्यक सुझाव दें।